न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी– अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 161/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर–2024/191

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
बैंक ऑफ बड़ौदा, मेड़ता सिटी शाखा, कृषि मंडी रोड मेड़ता सिटी–341510, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. मैसर्स गणेश लाईम प्रोडक्ट्स प्रोपराईटर श्री त्रिलोका राम पुत्र श्री भागु राम, ,खसरा नं. 206, गांव बीटन, तहसील मेड़ता सिटी, नागौर–342604 एवं 246 मेघवालों का बास, बीटन, मेड़ता सिटी, नागौर–342604 2. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री कर्माराम, बडियासरों का बास, बीटन, जिला नागौर, राजस्थान–341510

आदेश दिनांकः 28/8/2024

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को **टर्म लोन (खाता नं. 33580600000511) रूपये 55.00 लाख (अक्षरे पचपन लाख रूपये मात्र) दिनांक 06.07.2017. टर्म लोन (एफआईटीएल) (खाता नं. 33580600000846) रूपये 2.88 लाख (अक्षरे दो लाख अठयासी हजार रूपये मात्र) दिनांक 21.04.2020, टर्म लोन (डब्ल्यूसीटीएल) (खाता नं. 33580600000847) टर्म लोनरू. 2.00 लाख (अक्षरे दो लाख रूपये मात्र) दिनांक 21.04.2020 (डब्ल्यूसीटीएल) (खाता नं. 33580600001010) रू. 4.00 लाख (अक्षरे चार लाख रूपये मात्र) दिनांक 21.04.2020. नकद साख सीमा ऋण (खाता नं. 33580500000635) रू. 5.00 लाख (अक्षरे पांच लाख रूपये मात्र) दिनांक 21.04.2020 कुल ऋण रू. 68.88 लाख (अक्षरे अड़सठ लाख अठयासी हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा** उपलब्ध करवायी गयी। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति – श्री त्रिलोका राम पुत्र श्री भागु राम के नाम साम्यिक बंधक औद्योगिक भूमि जो खसरा नं. 206, गांव बीटन, तहसील मेड़ता, जिला नागौर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 3100.00 वर्ग मीटर है एवं उस पर निर्मित समस्त निर्माण सहित। जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है – उत्तर में खसरा नं. 205 भूमि, दक्षिण में खसरा नं. 1994/206, कटनी मार्ग, पूर्व में खसरा नं. 203 एवं 948/203 भूमि, एवं पश्चिम में खसरा नं. 207 एवं 1946/206 भूमि है,** जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 24.04.2020** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के **टर्म लोन (खाता नं. 33580600000511) रूपये 14,63,754.15/– (अक्षरे चौदह लाख तिरेसठ हजार सात सौ चौपन रूपये पन्द्रह पैसे मात्र) टर्म लोन (एफआईटीएल) (खाता नं. 33580600000846) रूपये 73,750.23/– (अक्षरे तिहेतर हजार सात सौ पचास रूपये तेईस पैसे मात्र) टर्म लोन (डब्ल्यूसीटीएल) (खाता नं. 33580600000847) रूपये 20,352.08/– (अक्षरे बीस हजार तीन सौ बावन रूपये आठ पैसै मात्र) टर्म लोन (डब्ल्यूसीटीएल) (खाता नं. 33580600001010) रूपये 81,873.72/– (अक्षरे इक्यासी हजार आठ सौ तिहेत्तर रूपये बहत्तर पैसे मात्र) नकद साख सीमा ऋण (खाता नं. 33580500000635) रूपये 5,19,805.22/– (अक्षरे पांच लाख उन्नीस हजार आठ सौ पांच रूपये बाईस पैसे मात्र) कुल ऋण रूपये 21,59,535.40/– (अक्षरे इक्कीस लाख उनसठ हजार पांच सौ**

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

पैंतीस रूपये चालीस पैसे मात्र) दिनांक 09.12.2022 को बकाया (दिनांक 05.12.2022 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं उससे आगेद्य का ब्याज व अन्य खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 09.12.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया, जो Refuse की रिपोर्ट के साथ लौटकर बैंक को प्राप्त हो गया। इसके बाद उक्त नोटिस का दो समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाये जाने के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर **टर्म लोन (खाता नं. 33580600000511) रूपये 14,63,754.15/– (अक्षरे चौदह लाख तिरेसठ हजार सात सौ चौपन रूपये पन्द्रह पैसे मात्र) टर्म लोन (एफआईटीएल) (खाता नं. 33580600000846) रूपये 73,750.23/– (अक्षरे तिहेतर हजार सात सौ पचास रूपये तेईस पैसे मात्र) टर्म लोन (डब्ल्यूसीटीएल) (खाता नं. 33580600000847) रूपये 20,352.08/– (अक्षरे बीस हजार तीन सौ बावन रूपये आठ पैसै मात्र) टर्म लोन (डब्ल्यूसीटीएल) (खाता नं. 33580600001010) रूपये 81,873.72/– (अक्षरे इक्यासी हजार आठ सौ तिहेत्तर रूपये बहत्तर पैसे मात्र) नकद साख सीमा ऋण (खाता नं. 33580500000635) रूपये 5,19,805.22/– (अक्षरे पांच लाख उन्नीस हजार आठ सौ पांच रूपये बाईस पैसे मात्र) कुल ऋण रूपये 21,59,535.40/– (अक्षरे इक्कीस लाख उनसठ हजार पांच सौ पैंतीस रूपये चालीस पैसे मात्र) दिनांक 09.12.2022 को बकाया (दिनांक 05.12.2022 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं उससे आगेद्य का ब्याज व अन्य खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान तक ब्याज सहित व आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थी ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण **सम्पति – श्री त्रिलोका राम पुत्र श्री भागु राम के नाम साम्यिक बंधक औद्योगिक भूमि जो खसरा नं. 206, गांव बीटन, तहसील मेड़ता, जिला नागौर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 3100.00 वर्ग मीटर है एवं उस पर निर्मित समस्त निर्माण सहित। जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है – उत्तर में खसरा नं. 205 भूमि, दक्षिण में खसरा नं. 1994/206, कटनी मार्ग, पूर्व में खसरा नं. 203 एवं 948/203 भूमि, एवं पश्चिम में खसरा नं. 207 एवं 1946/206 भूमि है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थी से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थी ने प्रार्थी बैक से **टर्म लोन (खाता नं. 33580600000511) रूपये 55.00 लाख (अक्षरे पचपन लाख रूपये मात्र) दिनांक 06.07.2017, टर्म लोन (एफआईटीएल) (खाता नं. 33580600000846) रूपये 2.88 लाख (अक्षरे दो लाख अठयासी हजार रूपये मात्र) दिनांक 21.04.2020, टर्म लोन (डब्ल्यूसीटीएल) (खाता नं. 33580600000847) टर्म लोनरू. 2.00 लाख (अक्षरे दो लाख रूपये मात्र) दिनांक 21.04.2020 (डब्ल्यूसीटीएल) (खाता नं. 33580600001010) रू. 4.00 लाख (अक्षरे चार लाख रूपये मात्र) दिनांक 21.04.2020, नकद साख सीमा ऋण (खाता नं. 33580500000635) रू. 5.00 लाख (अक्षरे पांच लाख रूपये मात्र) दिनांक 21.04.2020 कुल ऋण रू. 68.88 लाख (अक्षरे अड़सठ लाख अठयासी हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा** उपलब्ध करवायी गयी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति – श्री त्रिलोका राम पुत्र श्री भागु राम के नाम साम्यिक बंधक औद्योगिक भूमि जो खसरा नं. 206, गांव बीटन, तहसील मेड़ता, जिला नागौर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 3100.00 वर्ग मीटर है एवं उस पर निर्मित समस्त निर्माण सहित। जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है – उत्तर में खसरा नं. 205 भूमि, दक्षिण में खसरा नं. 1994/206, कटनी मार्ग, पूर्व में खसरा नं. 203 एवं 948/203 भूमि, एवं पश्चिम में खसरा नं. 207 एवं 1946/206 भूमि है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त सम्पति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को प्रमलान हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट,नागौर

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर